मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25 /06/2019

क्र. एफ 16 -13/2019/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लि .द्वारा स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर जिला धार में ऑटो कम्पोनेंट निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

GM(J)

PClog
25-6.2019

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ विहित शर्तो के अध्याधीन दिया जावे।
2. **विद्युत शुल्क से छूट** - ऊर्जा विभाग की प्रचलित नीति अनुसार विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।
3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार विद्युत टैरिफ में रियायत दी जावे।
4. कम्पनी की परियोजना को सिंगल विण्डो सिस्टम अन्तर्गत "इन्वेस्ट पोर्टल" के माध्यम से स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावे।
5. परियोजना को उदयोग सवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगा।
6. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में उद्योग स्थापनार्थ समस्त प्रभावी कदम उठा लिये गये हो।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर........

पृ.क्र. एफ 16 -13/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 24 /06/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
5. कलेक्टर, जिला इन्दौर
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लि., 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग